

Form-I
(for linear projects)
Office of the District Collector
Kangra at Dharmshala


No. **100** /DRA Dated: **16-01-2023**

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dt 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **01-11-63 Hectares** situated in Mohal Rakh, Tehsil Palampur, Distt. Kangra, of forest land proposed to be diverted in favour of Parshanti Hydro Energies Private Limited for construction of Lingti SHP (0.5 MW) in the state of H.P in Tehsil Palampur falls within the jurisdiction of Palampur Forest Division.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **01-11-63** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Divisional Level Committee(s) and the District Committee are enclosed as annexures. As per report received from Gram Panchayat, Rakh and SDO (C) Palampur there are no claims pending under them from anyone as per Scheduled Tribes and forest dwellers act 2006.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized right of primitive Tribal group and pre agriculture communities.


District Collector
Kangra at Dharamshala

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT KANGRA (H.P.)

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District Level Committee of Kangra District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Dr. Nipun Jindal, I.A.S, Deputy commissioner, Kangra on 29-12-2022 at 4.30 PM at Dharamshala in which the applications of the applicants of Gram Sabha Bhount (Rakh) claiming rights in **01-11-63 Hectares** forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee, Palampur, were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and hence admitted :-

<u>S.No</u>	<u>Name of Applicant*</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Details of forest right</u>
_____ No claim filed by anyone _____			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected :- (Not applicable)


<u>S.No</u>	<u>Name of Applicant*</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Details of forest right</u>
-------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------

OR

As informed by SDO (Civil) Palampur, no application was received from Gram Sabha Bhount (Rakh) claiming rights in **01-11-63 Hectares** forest area.

Place : Dharamshala

No : 99 /DRA Dated : 16-01-2023


12/1/23
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Forest Rights Committee

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना०) पालमपुर जिला काँगड़ा हि० प्र०
क्रमांक 1070/एस०डी०के० /दिनांक 06/10/2022


सेवा में

उपायुक्त महोदय,
काँगड़ा स्थित धर्मशाला ।

विषय:- Regarding the No Objection Certificate under Forest Rights Act 2006 for Lingti SHP (0.5MW) in Gram Panchayat Rakh, Tehsil Palampur Distt. Kangra HP.

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपके कार्यालय के पत्र संख्या 761/DRA/दिनांक 07/03/2020 की अनुपालना में निवेदन है कि दिनांक 01/10/2022 को उपमण्डल अधिकारी (ना०) पालमपुर एवं अध्यक्ष /सभापति उपमण्डल स्तरीय बन अधिकार कमेटी पालमपुर की अध्यक्षता में Issuance of Certificate regarding FRA for Lingti SHP (0.5W) के सम्बन्ध में की गई बैठक में की गई कार्यवाही (Proceeding) महोदय की सेवा में पेश है ।

भवदीय,

उपमण्डल अधिकारी (ना०)
PALAMPUR DISTT. KANGRA HP.

कार्यवाही (Proceeding)

आज दिनांक 01/10/2022 को उपमण्डल अधिकारी (ना0) पालमपुर एवं अध्यक्ष /सभापति उपमण्डल स्तरीय बन अधिकार कमेटी पालमपुर की अध्यक्षता में Issuance of Certificate regarding FRA for Lingti SHP (0.5W) के सन्दर्भ में अनापति प्रमाण पत्र जारी करने वारे बैठक का आयोजन किया गया । जिसमें निम्नलिखित अधिकारी / सदस्यों ने भाग लिया है ।

क्रम संख्या	नाम	पद
1	सार्थक शर्मा	तहसीलदार पालमपुर
2	रमेश चन्द	वन परिक्षेत्र अधिकारी पालमपुर
3	पूजा	पंचायत समिति सदस्य
4	पवन कुमार	पंचायत समिति सदस्य
5	विजय कुमार	पंचायत समिति सदस्य

बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि Lingti SHP (0.5MW) ग्राम पंचायत राख तहसील पालमपुर भूमी के उपयोग के लिय वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना उचित है ।

बैठक में किसी भी सदस्य द्वारा उपरोक्त प्रयोजन हेतू दिये गये प्रस्ताव / प्रमाण पत्र वारे किसी भी प्रकार की अनापति दर्ज न की गई तथा प्रभावित क्षेत्र की वन अधिकार समिति द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं हुआ है ।

अतः सर्व सम्मति से उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है ।

अध्यक्ष
उप मण्डल स्तरीय कमेटी
वन अधिकारी (ना0)
पालमपुर

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की भावना) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा काट
प्रतिनिधि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 26/06/2022

वन अधिकार समिति ग्राम सभा काट (राख) की बैठक आज दिनांक 26/06/2022 को 11:00 बजे स्थान काट (राख) में श्री/श्रीमति सुरेश जी की अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की भावना) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Reeshanti Hydro energy जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें विभाग द्वारा Linger Project (0.5mw) के Feasibility निर्माण के लिए 1-11-63 हैबिटेटर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हुए प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदन पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र०सं०	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का धौंरा
---------	---------------------------	-------------	--------------------

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से सुरक्षित रिकार्डिंग करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०सं०	* पात्र ग्राम वासी का नाम
---------	---------------------------

1.
2.
तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की रिकार्डिंग करती है।
या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान (राख) काट
दिनांक 26/06/2022

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

- * ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिनको इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- ** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (निराकरण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Bobber Devi
वन अधिकार कमेटी काट

102

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा गौट (शिव)
प्रतिनिधि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 26/06/2022

ग्राम सभा गौट (शिव) की बैठक आज दिनांक 26/06/2022 को 11:00
बजे स्थान गौट (शिव) में श्री/श्रीमति सुरजीत की अध्यक्षता में
की गई जिसमें गौट (शिव) ग्राम की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें 7/11/63 विभाग द्वारा Large Map (OSNW) के निर्माण के लिए 1/11/63 के
भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति के
विवेचन के उपरान्त प्राप्त हुए ग्राम वासियों के आवेदनों पर ध्यान दिया गया। वन अधिकारों की प्रस्तावों के अंक
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित धारा 3
का दावा निम्नानुसार सही पाया गया -

कॉस0 * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का नाम

1
2

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को मंजूर करती है। इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करने
है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित धारा 3 का दावा निम्नानुसार सही नहीं पाया गया -

कॉस0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1
2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को मंजूर करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार 1/11/63 Mac
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी दावा

स्थान 26/06/2022 / गौट (शिव)
दिनांक

सहस्रहस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

- * ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।
- ** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि का उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Bahika Devi
वन अधिकार समिति गौट
26/06/2022

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा गौह
विकास खण्ड शिवारना जिला कैलास (हि०प्र०)
प्रतिनिधि प्रस्ताव

मण्डल 71/116 दिनांक _____
प्रस्ताव संख्या _____

विषय Lingti प्रोजेक्ट के वन भूमि विभाग/संस्था को
के निर्माण हेतु
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1-11-63 HAC हैबटेयर वन भूमि के
उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा गौह की बैठक आज दिनांक _____

को सई जिले Prashanti Hydro Pvt Ltd विभाग/संस्था को
के निर्माण हेतु Lingti (CO-SMW) HEP
1-11-63 HAC हैबटेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर सभा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने सूचित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सदैव सहमति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के विपरीत पर भी सभा की सदैव सहमति से यह परित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के विपरीत सम्बंधित सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/जा रही है तथा प्रस्तावित 1-11-63 हैबटेयर वन भूमि को Lingti (CO-SMW) निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा सहमति दी जाती है।

स्थान गौह (224) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता _____
दिनांक 26/06/2022 ग्राम सभा _____

Bahin Devi
ग्राम अधिकार समेती बोर्ड
ग्राम सभा तहसील जिला

लिए ग्राम सभा के समक्ष रखेगी ताकि गांव में जंगल की जानीन पर किम जाई जाने विकास कार्य बाधित न हो।

प्रस्ताव-2 वन समिति ने ग्राम की निर्णय लिए ग्राम सभा का आयोजन डेक्कड हल्ल के प्रांगण में 26/06/2022 को रीक 11:00 को किया जाएगा।

प्रधान

सचिव





Reena Devi

वन अधिकार समेटी भोट
डी० राख सह० फलनपुर कामदा (दि. प्र.)



आज दिनांक 26/06/2022 को वन अधिकार समेति भोट के द्वारा ग्राम सभा भोट का आयोजन किया गया जिसमें निम्न ग्राम सभा सदस्यों ने भाग लिया।

क्र.सं.	नाम	पिता पति का नाम	हस्ताक्षर
1	Reena Devi	Sahjay Kumar	Reena Devi
2	गीता	S/o दूआना	
3	रमेश चन्द	रमेश चन्द	रमेश चन्द देवी
4	Rocky Kalonkar	S/o रमेश चन्द फलनपुर	Rocky Kalonkar
5	सुष्मा देवी	W/o Rocky Kalonkar	सुष्मा देवी
6	वीना देवी	W/o फलनपुर लाल	वीना देवी
7	Kalpna Devi	W/o प्रदीप कुमार	Kalpna Devi
8	SHAKSHI Devi	S/o सन्तोष कुमार	SHAKSHI Devi
9	कल्पना देवी	W/o सन्तोष कुमार	कल्पना देवी

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	हस्ताक्षर
10	आदिल कुमार	S/o अनुराज कुमार	आदिल कुमार
11	Ruchi	W/o Ravi Kumar	Ruchi
12	Dittu Ram	S/o बल राम	Dittu Ram
13	निरी	W/o Dittu Ram	निरी
14	प्रीतम चन्द S/o	बालीय	प्रीतम चन्द
15	पिंकी	W/o प्रेमचन्द	पिंकी
16	सुमना	W/o प्रकाश फन्ना	सुमना
17	रामचरि	W/o राजेश्वर कुमार	रामचरि
18	कमला देवी	W/o कन्द राम	कमला देवी
19	चन्द राम	S/o देवी राम	चन्द राम
20	चर्म चन्द	S/o चन्द राम	चर्म चन्द
21	Rajinder Kumar	S/o Chand Ram	Rajinder Kumar
22	Ajay Kumar	S/o Rajinder Kumar	Ajay Kumar
23	चमन लाल	S/o सरन दास	चमन लाल
24	रवि कुमार	S/o सरन दास	रवि कुमार
25	विक्रम चन्द	S/o जगदीश चन्द	Vikram Chandel

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	हस्ताक्षर
26	Sanjeev Singh	Uchumi Ram	
27	सुमना देवी	W/o. Sanjeev Singh	सुमना देवी
28	विना देवी	W/o. उद्योती राम	
29	उद्योती सिंह	ड/० उद्योती राम	उद्योती
30	रामना देवी	W/o. उद्योती सिंह	Ramna Devi
31	अमरजीत	ड/० उद्योती राम	अमर
32	सुमना देवी	W/o. अमरजीत	सुमना देवी
33	विनीत कुमार	ड/० विनीत गांग	विनीत कुमार
34	दिना राम	ड/० साली राम	दिना गांग
35	Sanjeev Kumar	ड/० विमल चन्द	
36	Durav Kumar	ड/० विमल चन्द	
37	वाकिला देवी	W/o. Durav Kumar	Bahika Devi
38	लीटनी देवी		
39	इन्दिरा देवी	W/o. ओम प्रकाश	इन्दिरा देवी
40	पवना देवी	W/o. अशोक कुमार	Pavna Devi
41	सरोज देवी	W/o. सुभाष कुमार	

क्र.स.	नाम	मितावति का नाम	हस्ताक्षर
42	गुमा देवी	w/o देवान	गुमा देवी
43	जगदीश	5/0 चौकस राम	जगदीश
44	दीपू	5/0 मोम प्रकाश	Deepak
45	सुभाष चन्द	5/0 चौकस राम	सुभाष चन्द
46	पंकज	5/0 बिगरी राम	पंकज
47	Man Mohan Singh	Sh. Pardeep Singh	Man Mohan Singh
48	Pardeep Singh	Sh. Prabhu Dayal	Pardeep Singh
(49)	रसमो देवी	रसमो देवी 5/0 रूप सिंह	रसमो देवी
(50)	विजय लक्ष्मी	विजय लक्ष्मी w/o राजेश कुमार	Vijay Lakshmi
51.	नरालम कुमारी	नरालम कुमारी w/o तिलकराज	Naralam Kumari
52.	तिलक राज	तिलक राज 5/0 कप सिंह	Tilak Raj
54	विजय कुमार	5/0 Sh. Janak Singh	Vijay Kumar
55	सुमिता देवी	w/o Sh. Vijay Kumar	Sumita
56	विकास	5/0 Vijay Kumar	Vikas
57	विकी ली	5/0 Vijay Kumar	Vikhi
58	विलवाग सिंह	5/0 Sh. Rupa Singh	Vilva Singh

54	गीता देवी	W/o Sh. Dilbag Singh	
60			
60	कल्याण शर्मा	श्री १० रा. रंग शर्मा	Kalyan
61	सुनील	W/o Kalyan Sh. R.	Sunil
62	विजय कुमार	श्री धनी राम विजय	विजय
63	उमला देवी	W/o धनी राम उमला देवी	उमला देवी
64	Vinay Kumar	W/o Sh. Ashok Kumar	Vinay Kumar
65	विशना देवी	W/o Sh. Pawan Chand	विशना देवी
66	Anju Devi	W/o Sh. Ashwani Kumar	Anju Devi
67	Veena Devi	W/o Kishor Kumar	Veena Devi
68	Sanjeev Kumar	Sh. Pawan Kash Chand	
69	श्रीमती देवी	रमेश कुमार	श्रीमती देवी
70	सीता देवी	प्रकाश चन्द	सीता देवी
71	Raksha Devi	Sanjeev Kumar	Raksha

प्रस्तावित आज वन अधिकार समिति में यह प्रस्ताव में
(0.5 Mw) जल विद्युत परियोजना को अनापत्ति प्रमाण पर
लेने हेतु विचार विमर्श किया। बैठक में अध्यक्ष /
प्रधान श्री सुरजीत जी ने प्रस्ताव रखा कि वन अधिकार
आयोग 2006 के तहत शारव (मौंट) में Lingti (0.5 Mw)
परियोजना (जल विद्युत) निम्न विवर पावर हाउस रण्डन
क्षेत्र में 01.11.63 Hectare का 200
में उपयोग करण पर महाल शारव (मौंट)

क्रमांक-सं नाम	पिता का नाम / पति का नाम	हस्ताक्षर
को कोई आपाले द्वारा सर्व सहमति जाला है	मुद्दी हैं अतः वन आवीनर से अजापान प्रमाण पत्र प्रदान किया	समीर
नोट: समा सदस्या ने यह भी पास किया कि जो पानी होइए प्रोजेक्ट द्वारा प्रयोजन में लाना है वही पानी गांववासी अपनी अजीबुका के लिए (घर) व खानाई हेतु उपयोग में लाते हैं वही पानी उसी तरह ही लगे का मिलता रहना चाहिए तभी लोगो द्वारा सहमती जताई। अतः प्रस्ताव की प्राप्ति पर उपरोक्त स्तरीय समिति पालमपुर की सेवा में प्रेषित है।		

S.No	Component	Model	Khazra No.	Area in Forestal
1.	Weir Site/Intake	Rakh	1932/7	0-01-50
2.	Conveyance TOOTANK	"	1932/6	0-00-30
3.	Desilting Tank	"	1932/4	0-02-00
4.	Silt Flushing Pipe	"	1932/5	0-00-10
5.	Dumping site-I	"	1932/2	0-01-50
6.	Power Pipe	"	1732/1	0-06-30
7.	Dumping Site-II	"	1932/8 2014/9	0-01-50
8.	Power Pipe	"	2014/8	0-06-22
9.	Dumping Site-III	"	2014/7	0-02-21
10.	Power pipe	"	2014/4	0-04-95
11.	Power house complex	"	2014/3	0-10-09
12.	Dumping Site IV	"	2014/2	0-01-53
13.	Road	"	2014/1	0-00-70
14.	Power Pipe	"	1858/2	0-02-31
15.	Power Pipe	"	1802/1	0-00-10
16.	Road / Transmission	"	1800/1	0-02-04
17.	Dumping Site-V	"	1800/2	0-00-75
18.	Staff Quarters	"	7800/4	0-07-50

(87)

Emergency

Page No.

Date: / / 201

19.	Road/Transmission	Rack	1801/1	0-00-14	
20.	Road/Transmission	LI	1647/1	-	0-27-51
21.	Dumping site-VI	LI	1642/2	-	0-01-00
22.	Transmission Line	LI	1643/1	-	0-03-78
23.	Transmission Line	LI	1633/1	-	0-17-79
<u>total</u>			01-11-63	0-00-14	Hectare.


 Babita Devi
 श्री ० राजा लक्ष्मी नारायण (१२२)